JAY BHARAT MARUTI LIMITED
Corporate Office :
Plot No. 9, Institutional Area,
Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)
T : +91 124 4674500, 4674550
F : +91 124 4674599
W : www.jbmgroup.com

JBM Group
Our milestones are touchstones

Ref. No: JBML/SE/Q2/19-20/86 **Date: 8th July, 2019**

BSE Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Scrip Code: 520066

The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G- Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051.

NSE SYMBOL: JAYBARMARU

Sub: Submission of Newspapers Advertisements under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Jansatta (Hindi) in Delhi edition and Financial Express (English) in Delhi edition on 7th July, 2019 for giving intimation of the meeting of Board of Directors of the Company which is scheduled to be held on Tuesday, 16th Day of July, 2019 to consider and approve the un-audited Financial results for the 1st quarter ended 30th June, 2019 and to consider proposal for issuance of securities in terms of Companies Act, 2013, subject to the shareholders' approval.

You are requested to please take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Jay Bharat Maruti Limited

(Ravi Arora)
Company Secretary

Encl.: As above

Last Date and Time of Receipt of Bid 13.08.2019 up to 5.00 pm, Date and Time of E-Auction 14.08.2019 at 11:30 am to 12:30 pm

For details terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in Canara Bank's website (www.canarabank.com) or may contact the respective Branch during office hours on any working day.

Date : 07.07.2019 **Authorized Officer, Canara Bank**

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF KUDOS CHEMIE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	**KUDOS CHEMIE LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	09.09.1988
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Chandigarh under the Companies Act, 1956
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U24231PB1988PLC008663
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**REGD. OFFICE/ WORKS OFFICE:** Village Kuranwala Barwala Road Tehsil Dera Bassi, District SAS Nagar Punjab-140507
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	05.07.2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	01.01.2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Mr. Rajender Kumar Jain IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10963**
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	House no.3698/1, First Floor, Sector-46 C, Chandigarh-160047 Mobile- +91-99155-98862 E-mail id: amicusthe@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	SCO 131, 2nd Floor, MDC, Sector-5, Panchkula, Haryana, 134119, E-mail: kudoschemie.ip@ducturus.com Email : claims.kudos@ducturus.com Mobile: +91-99155-98862, Landline No. +91-73470-11150
11.	Last date for submission of claims	19.07.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es)-NA
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. NA 2. NA 3. NA
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at	(a) Web link: http://ibbi.gov.in/downloadform.html Please refer Note 1 for applicable form Physical address: as in (10) above. (b) NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Kudos Chemie Limited on 05/07/2019.

The creditors of Kudos Chemie Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 19/07/2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class [NA] in Form CA.

The submission of proof of claims should be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The proof of claims is to be submitted by way of the following specified forms along with documentary proof in support of their claims:

Note 1

Form B: for claims by Operational Creditors (except Workmen and Employees)
Form C: for Claims by Financial Creditors
Form CA: for Claims by Financial Creditors in a Class
Form D: for Claims by a workman and employee
Form E: for Claims by Authorized Representative of Workmen and Employees
Form F: for Claims by creditors other than financial creditors and operational creditors

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Kindly mention contact details in the claim form so that any query regarding claim can be resolved immediately.

Rajender Kumar Jain
(Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968)
Interim Resolution Professional in the matter of
Kudos Chemie Limited

Date: 06.07.2019
Place: Chandigarh

JBM Group

Our milestones are touchstones

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

CIN: L29130DL1987PLC027342
Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi – 110 019.
Ph.: 011-26427104; Fax: 011-26427100
E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com
Website: www.jbmgroup.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 16th July, 2019 at Gurugram (Haryana) to consider and approve, *inter-alia*, the Unaudited Financial Results of the Company for the First Quarter ended 30th June, 2019 and to consider proposal for issuance of securities in terms of Companies Act, 2013 subject to the shareholders' approval.

The above details of the said meeting are also available on the Company's website at www.jbmgroup.com and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, as per the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the trading window for dealing in shares of the Company is closed for Directors / Officers / designated employees of the Company from 1st July, 2019 until the end of 48 hours after the results are made public on 16th July, 2019.

for **JAY BHARAT MARUTI LIMITED**
Sd/-
(Ravi Arora)
Company Secretary

Place : Gurugram
Date : 6th July, 2019

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

बैंक ऑ
Bank

E-Auction Sale Notice for Sale o
Interest (Enforcement) Rules, 20
The under mentioned properties w
"Whatever there is" towards recove

S. No.	Branch	Nam
1.	International Business Branch, New Delhi	Mrs. Nar Mohd Ka Mohd. M (All are J
2.	International Business Branch, New Delhi	Mrs. Nar Mohd Ka Mohd. M (All are J

FOR DETAILED TERMS

LAST DATE AND TIM

The sale shall be subject to the te
1. The e-auction is being proposed
2. The Auction-cum-sale shall be co
3. Care has been taken to include a
4. The intending bidders are advise respective Authorized Officers for th
5. The Secured Assets shall not be incremental amount stated hereina
6. Earnest money deposit (EMD) s where 5th character of IFSC Code i
7. The intended bidders who have a) Proof of deposit of EMD. b) Duly made available for verification by th
8. Interested bidders can create the etc., may contact **M/s e-Procura Delhi@auctiontiger.net, rampra https://bobauctiontiger.net and**
9. Only those bidders holding valid or all bids. Further, the Authorized whatsoever and his decision in this
10. In case any bid is placed in the l
11. If no other bid is received upon purchase amount immediately or n
12. Mere deposit of 25 % of the Sal
13. After deposit of amount in term the amount so, the amount already
14. If the dues of the Bank together
15. All statutory dues/attendant ch
16. The Sale Certificate shall be iss
17. The Bank has disclosed encu Auctioned. The intending Bidder is
18. The bidders should ensure pro
19. Bank may bid any one or more
20. The buyer should ascertain th

Note: This is also the publication o date of e-auction.

Place: Delhi, Date: 06.07.2

Sunday Financial Express, Delhi. 7-7-2019

Sunday Jansatta = 7-7-2019.
Delhi.

आरटीआइ कार्यकर्ता की हत्या में पूर्व सांसद सोलंकी, छह अन्य दोषी करार

अमदाबाद, 6 जुलाई (भाषा)।

आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेठवा की 2010 में हुई हत्या के मामले में यहां सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को शनिवार को दोषी करार दिया। जेठवा ने गिर वन रेंज में अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने का प्रयास किया था।

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश केएम दवे मामले में 11 जुलाई को सजा सुनाएंगे। अपराध शाखा द्वारा सोलंकी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने जांच केंद्रीय एजंसी को सौंपा दिया था।

2009 से 2014 तक गुजरात के जूनागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके सोलंकी को उनके चचेरे भाई शिव सोलंकी और पांच अन्य के साथ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों का दोषी माना।

गुजरात हाई कोर्ट के बाहर 20 जुलाई 2010 को आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या कर दी गई थी

गुजरात हाई कोर्ट के बाहर 20 जुलाई 2010 को मति जेठवा की हत्या कर दी गई थी। दरअसल, उन्होंने आरटीआइ अर्जी के जरिए दीनू सोलंकी की कथित संलिप्तता वाली अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी।

जेठवा ने एशियाई शेरों के वास स्थान गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी।

जेठवा के पिता भीखाभाई जेठवा के ही कोर्ट का रुख करने के बाद अदालत ने मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट से कहा था कि आरोपियों द्वारा दबाव डालने और भयादोहन करने के चलते करीब 105 गवाह मुकर गए।

कर्नाटक : बलात्कार के एक और मामले में आरोपी गिरफ्तार

मंगलुरु, 6 जुलाई (भाषा)।

एक दलित छात्रा के साथ उसके कॉलेज के साथियों द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना से लोग उबरे भी नहीं थे कि दक्षिण कन्नड़ जिले में इसी समुदाय की एक नाबालिग छात्रा के साथ एक मजदूर द्वारा कथित बलात्कार की घटना सामने आई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी की पहचान पुत्तूर के मदनूर इलाके के निवासी निर्माण मजदूर अजित के रूप में की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को जब पीड़िता अपने स्कूल जा रही थी तब आरोपी उसे मिला और उसने लड़की से कहा कि उसकी मां पास के एक स्थान पर बेहोश हो गई है। इसके बाद वह उसे सुनसान जगह पर ले गया और कथित रूप से उसके साथ बलात्कार किया। उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे घसीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। होश में आने के बाद वह घर लौटी और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई और आरोपी की पहचान की।

सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उदक्षिण कन्नड़ जिले की पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद अस्पताल में किशोरी से मिलने पहुंची। वहीं, कॉलेज की एक दलित छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी वीडियो बनाने के मामले में पांच छात्रों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आठ अन्य आरोपियों को भी वीडियो प्रचारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

बिहार में अपराध अं

भागलपुर, 6 जुलाई (जनसत्ता)।

बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे अपराधग्रस्त जिलों का अपराध अंकेक्षण (क्राइ ऑडिट) कराने की पहल की है। इसके लिए पांच पंद्रह पुलिस अधिकारियों की सशक्त टीम बनाई ग है। जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक, आइज डीआइजी, एसपी और डीएसपी स्तर के अनुभ पुलिस अधिकारी शामिल किए गए हैं। इस दल का नाम पुलिस महानिदेशक गतिशील दस्ता दिया गया है। भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती के मुताबिक बिहार में यह पहली दफा और अनूठा प्रयोग साबित होगा।

पुलिस म ने पुलिस टी

एसएसपी के जारी प्रेस नोट में इस बात का जि नहीं है कि यह दस्ता कब से काम करेगा। विज्ञप्ति मुताबिक यह दस्ता जिले के विभिन्न अनुमंडलों दौरा कर अपराध और शराब तस्करी की रोकथाम किए उपाय की जमीनी हकीकत की जानकारी ले और कमी को पूरा करने के लिए थाना स्तर से लेक चौकीदार और आम नागरिकों से संवाद भी करेंग इनका गांवों या अनुमंडल स्तर का दौरा तीन दिनों होगा। चौथे दिन ये जिला मुख्यालय में पुलि अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे और पूरी जानका

JBM Group
Our milestones are touchstones
जय भारत मारूति लिमिटेड
CIN: L29130DL1987PLC027342
पंजी. कार्यालय: 601 हेमकुन्त चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
फोन: 011–26427104; फैक्स: 011–26427100
E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com
Website: www.jbmgroup.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 16 जुलाई, 2019 को गुरूग्राम (हरियाणा) में आयोजित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ कंपनी के 30 जून, 2019 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और उनका अनुमोदन और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में प्रतिभूतियों को जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

उक्त बैठक का उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा, इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनुरूप कंपनी के शेयरों के कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों/पदनामित कर्मचारियों के लिये 1 जुलाई, 2019 से 16 जुलाई, 2019 को परिणाम सार्वजनिक किये जाने के उपरांत 48 घण्टे समाप्त होने तक के लिये बंद रहेगी।

कृते जय भारत मारूति लिमिटेड
हस्ता/–
(रवि अरोड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : गुरूग्राम
तिथि : 6 जुलाई, 2019

प्रपत्र सं.
पब्लिक कम्पनी
के लिये समाचार
क्षेत्रीय निदेशक,
कम्पनी अधिनियम
2013 की धारा
नियमावली, 201
मै. मोदी हाइटि
पंजीकृत कार्यालय
प्लेस, नई दिल्ली
एतद्द्वारा आम जन
कम्पनी उपरोक्त नि
अधिनियम, 2013 के
के पास एक आवेदन
रूपांतरण को प्रभावी
बनाने के लिए 13 म
आमसभा में पारित
एक प्राईवेट लिमिटेड
इच्छुक है।
कंपनी की स्थिति
किसी व्यक्ति का हि
वर्णित पते पर पंजीकृ
उसकी एक प्रति के
तिथि से चौदह दिनों
आपत्ति के कारणों क
द्वारा समर्थित अपनी
कॉर्पोरेट कार्य मंत्राल
भवन, सीजीओ कॉम्प
करें या जमा कराएं
1400 मोदी टावर,
दीएल 110019
बोर्ड
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 06.07.2019
45,

HDFC BANK
We understand your world

प्रधान कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट) मुम्बई-400013 अंचल कार्यालय: एचडीएफसी बैंक लि., विशेष प्रचालन विभाग, 5वां तल, अंमल क्लैसिक टावर, प्लॉट नं. 1, जे-ब्लॉक, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) ("अधिनियम") के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारक/सह-ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों ("यहां के बाद सामूहिक रूप से "ऋणधारकों" के रूप में विदित) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लि. की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित गिरवी सम्पत्ति ("प्रतिभूत परिसम्पत्ति") का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। जिसमें विफल होने पर नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा यहां वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन प्रतिभूत सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज के साथ बकाया राशि के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

शाखा:-

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि/कब्जा की तिथि/बकाया राशि
ऋणधारक:-	सरज कुंड रोड, तहसील बल्लभगढ़, जिला	मांग सूचना तिथि: 30 जन, 2019